तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2387/2006/नागौर** **सरकार बनाम ज्यान मोहम्मद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री गौरव बजाड़, सदस्य** **उपस्थितः–** 1– श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। 2– अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **निर्णय** **दिनांकः**04.02.2026 यह रेफरेंस अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में पारित निर्णय दिनांक 27–03–2006 द्वारा अनुशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, डीडवाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार, डीडवाना के ग्राम बाँठड़ी के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 में खसरा नं0 204 रकबा 42.01 बीघा किस्म जमीन गै0मु0 अंगोर पायतन दर्ज थी। नवीन बन्दोबस्त अनुसार उक्त आराजी खसरा नं0 248 रकबा 42.01 बीघा किस्म पायतन दर्ज हो गई। उक्त आराजी जरिये नियमन खसरा नं0 248/508 रकबा 5 बिस्वा अप्रार्थी ज्यान मोहम्मद पुत्र अलाबक्ष के नाम दर्ज हुई जो आदिनांक तक रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी पायतन होने से आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत उक्त आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खरातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2387/2006/नागौर** **सरकार बनाम ज्यान मोहम्मद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करते हुए रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत राजकीय सिवायचक अंकित करने की राय के साथ रेफरेन्स राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। 3– अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया जिसकी आदिनांक तक ए.डी. अप्राप्त समयावधि मानकर तामील मानी जाती है। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजें लगवाई गई लेकिन बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं होने से उप राजकीय अभिभाषक की रेफरेन्स पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुये कथन किया है कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। अन्त में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया। 5– हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परिशीलन किया। 6– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 ग्राम बाँठड़ी अनुसार खसरा नं0 204 रकबा 49.16 बीघा किस्म जमीन गै0मु0 अंगोर/पायतन दर्ज थी। जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 में खसरा नं0 204 रकबा 49.16	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2387/2006/नागौर** **सरकार बनाम ज्यान मोहम्मद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीघा गै0मु0 अंगोर/पायतन अलावा जोत नाकाबिल काश्त भूमि दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नं0 204 के नये खसरा नं0 248, 249 एवं 250 बने है। जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2026 में खसरा नं0 248 रकबा 42.01 बीघा किस्म पायतन दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 में खसरा नं0 248 रकबा 36.01 बीघा में से अप्रार्थी ज्यान मोहम्मद पुत्र अलाबक्ष के नाम खसरा नं0 248/508 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0 बाड़ा दर्ज हुआ है जो जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 50 एवं 2059 से 2062 में दर्ज है। खसरा नं0 248 किरूम पायतन सम्वत् 2046 तक दर्ज रहा है। तत्पश्चात् नियमन होने से जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 में खसरा नं0 248/508 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0 बाड़ा दर्ज कर अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी है। अंगोर, गोचर, पायतन आदि वर्जित किस्म की भूमियां रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं किन्तु प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थी के पक्ष में अविधिक रुप से किया गया है। 7– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''राजकीय सिवायचक'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2387/2006/नागौर** **सरकार बनाम ज्यान मोहम्मद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 8– इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– 16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 9– प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजकीय सिवायचक की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। 10– अतः उपरोक्त परिस्थिति में अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा मण्डल को विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2387/2006/नागौर** **सरकार बनाम ज्यान मोहम्मद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह रेफरेन्स **स्वीकार** किया जाकर ग्राम बाँठड़ी के खसरा नं0 248/508 रकबा 5 बिस्वा अप्रार्थी के खाते से निरस्त करते हुए आदेश दिये जाते है कि हाल राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजी को पुनः राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावें तथा उक्त खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त किया जाता है। 12– आदेश की सूचना उप राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। 13– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	